न्यायालय जिला कलेक्टर,जालोर

पीठासीन अधिकारी — श्री बी.एल.कोठारी
आई.ए.एस

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्टस
मानाराम पुत्र पीरारामजी मेघवाल निवासी पलादर तहसील सांचौर		1-फुआ पुत्र फगलू जाति रेबारी 2-सावा पुत्र फगलू जाति रेबारी निवासी पलादर तहसील सांचोर 3-सरकार जरिये तहसीलदार सांचोर

प्रकरण संख्या अपील 18/2016

अपील अर्न्तगत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

.....

पक्षकारान:-

1-श्री जगदीश गोदारा, अभिभाषक अपीलान्ट
2-श्री चिरंजीलाल गहलोत अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1
3-रेस्पोडेन्ट संख्या 2 बावजूद सूचना के अनुपस्थित।
4-श्री छोटूसिंह सरकारी वकील

निर्णय

दिनांक:-27.03.2018

1. अपीलान्ट के वकील ने यह अपील तहसीलदार सांचोर के आदेश दिनांक 17.02.2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की है। जो प्रकरण संख्या 03/2015 अन्तर्गत धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 शीर्षक फुआ पुत्र फगलू जाति रेबारी वगैराह निवासी पलादर तहसील सांचोर बनाम माना पुत्र पीराजी मेघवाल वगैराह निवासी पलादर तहसील सांचोर में पारित किया गया है।

2. अपीलान्ट के वकील द्वारा अपील प्रस्तुत करने पर बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्टस को जरिये सम्मन सूचित किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 बावजूद सूचना के अनुस्थित रहा। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रकरण में दोनों पक्षों की बहस सुनी गई ।

3. अपीलान्ट के विद्वान वकील ने अपील में वर्णित तथ्यों के समर्थन में तर्क दिया कि फुआ द्वारा एक प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 11.03.2003 को पेश कर निवेदन किया कि उसका खातेदारी खेत खसरा नबंर 127 पलादर की सरहद में आया हुआ हैं।प्रार्थी इस खेत में आने जाने का रास्ता अप्रार्थी वगता के खेत खसरा नबंर 141 से होकर आता जाता हैं। प्रार्थी एवं उसके पडौसी करीब 50 वर्षो से इस रास्ते का उपयोग कर रहे हैं। अप्रार्थी वगता ने यह रास्ता रोककर उस पर फसल बो दी गई हैं। इस रास्ते के अलावा आने जाने का कोई रास्ता नहीं हैं। उक्त प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ग्राम पंचायत विरोल को भेजा गया। ग्राम पंचायत विरोल द्वारा इस मामले में वगता को नोटिस से सूचित किया व ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 11.07.2003 को रास्ते का मौका देखा गया। ग्राम पंचायत द्वारा बताया गया कि प्रार्थी इस रास्ते से होकर चलते थे। इस रास्ते के अलावा प्रार्थी के आने जाने का कोई रास्ता नहीं हैं। उक्त रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय में पेश करने के बाद न्यायालय द्वारा अप्रार्थी वगता को नोटिस भेजा गया व पटवारी से मौका फर्द मंगवाई गई। अप्रार्थी का नोटिस तामील होने पर अधिवक्ता ने वकालातनामा पेश किया व जबाब पेश हुआ। दिनांक 24.09.2005 को अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर रास्ता खोले जाने का आदेश दिया गया हैं।उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा श्रीमान के न्यायालय में अपील संख्या 05/2014 प्रस्तुत की गई। रेस्पोडैन्ट संख्या 1 की ओर से उनके अधिवक्ता ने पैरवी की। उक्त अपील में निवेदन किया कि खसरा नंबर 141 की भूमि पूनमाराम, वजाराम, मगनाराम, गोमा, हरजी, वगता माना की भूमि हैं। इसमें अकेला खातेदार वगता नहीं है। जबकि अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार के रूप में अकेले वगता पुत्र पीरा को बनाया गया है। उक्त भूमि पर कोई बंटवाडा नही हुआ है। अकेले वगता के नाम जमीन नहीं है। सभी सह खातेदार सामलाती खेती करते है,उनको भी पक्षकार बनाया जाना उचित था। जिला कलेक्टर न्यायालय से अपील स्वीकार कर पत्रावली रिमाण्ड की जाकर सभी सह खातेदार को पक्षकार बनाया जाकर विधी सम्मत निर्णय पारित करने के आदेश दिया गया था। पत्रावली पर अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण संख्या 3/2015 दर्ज कर फुआ व सावा के बयान लिये गये।पूनमा पुत्र रूढा का नोटिस उसके आबाद मकान पर चस्पा किया गया है। दो मौतबिरान का कोई हवाला नहीं है।मगना व वजा के नोटिसो में भी ऐसा किया गया है।वगता पुत्र पीरा के नोटिस उसके पुत्र से तामील करना बताया है।समु पत्नि हरजी घर पर नहीं थी। उसका नोटिस आबाद मकान पर चस्पा किया गया। न्यायालय द्वारा नोटिस की तामील मानकर दिनांक 17.02.2016 को निर्णय पारित कर पूर्व में किये गये निर्णय दिनांक 24.09.2005 में कोई त्रुटी

SDM

प्रतीत नहीं होने पर निर्णय को यथावत रखा। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ने पक्षकारो के नोटिस विधीवत तामील नहीं करवा कर जल्दबाजी में उक्त निर्णय पारित किया गया है। जो निरस्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने पूर्व में वगता पुत्र पीरा को पक्षकार बना कर निर्णय किया था अब माना पुत्र पीरा अकेले को पक्षकार बना कर निर्णय किया है जबकि खसरा नंबर 141 की भूमि सभी खातेदारो की है। उनको पक्षकार बना कर निर्णय पारित करना था। फुआ द्वारा सहायक कलेक्टर सांचोर में धारा 251(ए) का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। जिसके प्रकरण संख्या 1/2015 है। उक्त प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है। धारा 251 जब कोई रास्ता चलता हो, किसी द्वारा रोका गया है। तब उक्त धारा लगती है। जबकि अपीलार्थी के खेतो में आने जाने के लिये कोई रास्ता नही है। धारा 251 में प्रार्थी फुआ का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है। धारा 251 'ए' में जो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है सही है। इसके द्वारा रास्ते की मांग की गई है। प्रार्थी फुआ द्वारा एक सिविल वाद न्यायालय सिविल न्यायाधीश सांचोर में प्रस्तुत किया है।मूल वाद के साथ दिवानी विविध प्रकरण प्रस्तुत किया था।जिसके प्रकरण संख्या 34/2013 है। उक्त प्रकरण फुआ के विरूद्ध 11.12.2014 को हो गया है। अत: अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे व पत्रावली रिमाण्ड की जावे।

4. रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के विद्वान अभिभाषक ने बहस में तर्क दिया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस स्वतंत्र गवाह की मौजदगी में उनके निवास स्थान पर चस्पा किये गये।अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सभी को पक्षकारो को नोटिस जारी किये गये लेकिन बावजूद तामील उपस्थित नहीं होने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया गया है।जो विधीवत है। उक्त रास्ता 50 वर्षो से मौके पर चल रहा था। जिसे पटवारी की रिपोर्ट,तहसीलदार की रिपोर्ट व सहायक कलेक्टर कर मौका रिपोर्ट में उक्त रास्ता की मौजूदगी बताई गई है। उक्त रास्ता खुलवाने बाबत पूर्व में भी तहसीलदार सांचोर द्वारा दिनांक 24.09.2005 को भी आदेश पारित किया गया था। उक्त प्रकरण के अलावा 251 (ए) में भी सहायक कलेक्टर सांचोर द्वारा रिकार्ड में रास्ता दर्ज बाबत आदेश हुये है। जिन आधार पर उक्त अपील का अस्तित्व ही समाप्त हो चुका है। उक्त रास्ते बाबत रेस्पोडैन्ट द्वारा सहायक कलेक्टर सांचोर के निर्णय की पालना में उक्त रास्ते की आराजी का डी एल सी के आधार पर रकम जमा करवा दी गई है तथा उक्त रास्ता वर्तमान में मौके पर चालू है तथा राजस्व रेकार्ड में उक्त रास्ता दर्ज है। रेस्पोडैन्ट को बेजह परेशान किया जा रहा है। राजस्व अपील अधिकारी के न्यायालय में सहायक कलेकटर सांचोर के निर्णय के विरूद्ध अपील पेश की गई थी। जो अपीलांट की लंबे समय से अनुपस्थिति के कारण उक्त रास्ते की अपील खारिज हो चुकी है। अत: अपीलांट की अपील खारिज की जावे।

5. सरकारी वकील ने भी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की बहस का समर्थन किया।

6. मेरे द्वारा बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रस्तुत प्रकरण में अपीलांट ने यह अपील तहसीलदार सांचोर के प्रकरण संख्या 03/2015 अनवान फुआ वगैराह बनाम मानाराम वगैराह अर्न्तगत धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में पारित निर्णय दिनांक 17.02.2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 'ए' प्रतिस्थापित कर नये रास्ते के प्रावधान लागू किये है। इस प्रावधानो के अर्न्तगत इस प्रकरण से संबंधित नया रास्ता कायम करने के संबंध में उपखंड अधिकारी सांचोर द्वारा प्रकरण संख्या 01/2015 फुआ बनाम पूनमाराम वगैराह में अर्न्तगत धारा 251''ए''राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में पारित निर्णय दिनांक 19.08.2016 द्वारा नवीन रास्ता कायम के आदेश पारित किये गये है। इस प्रकार धारा 251 के अर्न्तगत अन्य कोई कार्यवाही किया जाना अपेक्षित नहीं रहता है।अत: यह अपील चलने योग्य नहीं होने से अपीलांट की अपील खारिज योग्य पाई जाती है।

अत: उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट की अपील खारिज की जाती है।

Sd/-
(बी.एल.कोठारी)
जिला कलेक्टर
जालोर

निर्णय दिनांक 27.03.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Sd/-
(बी.एल.कोठारी)
जिला कलेक्टर,जालोर